



यह पट्टा विलेख (पट्टा विलेख) आज दिनांक 09/09/2024 को प्रथम पक्ष,

जिला बीकानेर, राजस्थान, आधार संख्या:- जो एतद् पश्चात पट्टादाता कहलायेगें, जिनमें जब तक संदर्भया उसके अर्थ के प्रतिकूल नहीं हो तब तक उनके कानूनी वारिस, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक और अनुमत समनुदेशितियों को इसमें शामिल समझा जाए)

एवं

द्वितीयपक्ष

(PAN NO.

) (CIN-

एक कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित और अस्तित्व में है, जिसका पंजीकृत कार्यालय में है। जरिये अधिकृत प्रतिनिधि आधार संख्या (जो इसके पश्चात पट्टाग्रहीता या पट्टेदार कहलायेगी जिनमें जब तक संदर्भ उसके अर्थ के प्रतिकूल नहीं हो तब तक उनके कानूनी प्रतिनिधियों, प्रशासकों उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों को शामिल समझा जाए) के द्वारा एवं के बीच उप-पंजीयक कार्यालय राजस्थान में तैयार एवं निष्पादित किया गया।

पट्टादाता और पट्टेदार को यहाँ से सामूहिक रूप से "पक्षों" या एकल रूप से "पक्ष" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।

विवरण:

A. पट्टादाता खसरा संख्या - रकबा हेक्टेयर, (एकड़) माप किस्म सम्पूर्ण भूमिका विक्रम सवत 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी की खसरा जमाबंदी के अनुसार एवं वर्तमान में राजस्व दस्तावेजों के अनुसार भूमि का पूर्ण रूपेण कानूनी स्वामी है और गांव, जिला बीकानेर राजस्थान राज्य में अवस्थित यह भूमि ("उक्त भूमि") कानूनी रूप से उसके कब्जे में है। उक्त भूमि के विवरणों को अधिक विशिष्ट रूप से पट्टा विलेख में संलग्न प्रथम अनुसूची में वर्णित किया गया है।

B. पट्टा ग्रहीता उक्त भूमि को गांव जिला बीकानेर राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा परियोजना ("परियोजना") की स्थापना करने और संचालन करने के प्रयोजन से पट्टे पर लेने के लिए इच्छुक है।

C. पट्टादाता इस पट्टा विलेख में नियत किए गए नियम और शर्तों पर उक्तभूमि को पट्टे पर देने के लिए सहमत हो गया है, और इसकी अवधि के दौरान ऐसे नियम एवं शर्तें इस पट्टा विलेख के दोनों पक्षों के लिए पर अंतिम

उप पंजीयक

Authorised Signatory

और अप्रतिसंहरणीय एवं बाध्यकारी होंगी।

अब इसलिए, पूर्व गामी एवं इस पट्टे विलेख में उल्लिखित वाचा और अनुबधों एवं अन्य विवेचन के अनुसार, जिनकी प्राप्ति, यथेष्टता और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और जिन्हें इसके द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का प्रयोजन है, दोनों पक्षों द्वारा इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1. परिभाषाएँ

इस पट्टा विलेख में, सिवाय जहां संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक हो, निम्नलिखित शब्दों और व्यंजकों का अर्थ निम्नलिखित होगा:

1.1.1. "लागू कानून" का अर्थ राजस्थान राज्य में लागू स्थानीय एवं क्षेत्रीय कानूनों सहित, भारत में यथानुसार लागू (और समय-समय पर संशोधित) ठोस और प्रक्रियात्मक कानून होगा;

1.1.2. "सक्षम प्राधिकारण" का अर्थ इस पट्टा विलेख के संबंध में या उससे उत्पन्न किसी भी मामले पर अधिकार क्षेत्र धारण करने वाला या धारण करने का दावा करने वाला कोई भी भारतीय राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक या नगर सरकार या अर्ध सरकार, मंत्रालय, सरकारी विभाग, आयोग, बोर्ड, ब्यूरो, एजेंसी, सहायक, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, विनियामक या व्यवस्थापकीय निकाय (संबंधित ग्राम पंचायत सहित) होगा;

1.1.3. "नियत दिनांक" का अर्थ खंड 3.1 के अंतर्गत निर्धारित होगा;

1.1.4. "प्रभावी तिथि" का अर्थ वह तिथि है जिस पर नीचे दिए गए अनुसार पक्षों के अधिकार और दायित्व प्रवर्तित होते हैं, यह इस पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने की तिथि ही होगी;

1.1.5. "ऋणभार" का अर्थ या तो वर्तमान में या भविष्य में किसी प्रभार, प्रतिभूति, आभासी प्रतिभूति, गैर निपटान व्यवस्था, दावा, विकल्प, नकारात्मक धारणाधिकार, दृष्टिबंधक, किसी तृतीय पक्ष के पक्ष में बिक्री का अधिकार, स्वत्वधारण, पूर्व क्रय अधिकार, प्रथम इनकार का अधिकार, इस पट्टा विलेख के पक्षों द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली किसी भी प्रकृति की अवरुद्धता या कोई भी तृतीय पक्ष अधिकार या प्रतिभूति हित, कोई भी पूर्वगामी निर्मित करने का अनुबंध या दायित्व का अस्तित्व या निर्माण होगा।

1.1.6. "भूमि" का अर्थ सन्निहित भूमि होगा, जिसकी सीमा (प्रासंगिक सर्वेक्षण संख्याओं, सीमांकनों और अन्य आवश्यक विवरणों के साथ साथ) इसके संलग्नक 1 में नियत की गई है, और जिसका विवरण आगे इस पट्टा विलेख के खण्ड 2.1 के अंतर्गत दिया जाएगा;

1.1.7. "पट्टा विलेख" का अर्थ यह विलेख होगा;



1.1.8. "पट्टा किराया" का अर्थ इस पट्टा विलेख के खंड 3में उल्लिखित अर्थ होगा;

1.1.9. "परियोजना" का अर्थ गांव

राजस्थान में

पट्टेदार द्वारा भूमि पर स्थापित एवं परिचालित की रही सौर ऊर्जा परियोजना होगा;

1.1.10. "नियमों" का अर्थ खंड 7.1.2के अंतर्गत निहित अर्थ होगा; और

1.1.11. "शर्तों" का अर्थ खंड 4के अंतर्गत आने वाली शर्तें होंगी।

1.2. व्याख्या

1.2.1. जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस पट्टा विलेख में "खंड" और "अनुलग्नक" के सभी संदर्भ क्रमशः इस पट्टा विलेख के खंड और संलग्नक को संदर्भित करेंगे। इस पट्टा विलेख के अनुलग्नक इससे एक अभिन्न भाग का निर्माण करते हैं और पूरी तरह प्रवर्तित और प्रभावी होंगे, जैसा उन्हें स्पष्ट रूप से इस पट्टा विलेख के प्रारूप में नियत किया गया है; और

1.2.2. इस पट्टा विलेख में, जब तक कि संदर्भ हेतु अन्यथा आवश्यकता न हो (i) एकवचन में बहुवचन और बहुवचन में एकवचन शामिल होंगे; (ii) व्यक्तियों को व्यक्त करने वाले शब्दों में भागीदारी, फर्म और कंपनियोंको शामिल किया जाएगा (iii) "शामिल" और "सहित" शब्दोंका अर्थ बिना किसी सीमा के लगाया जाए और (iv) किसी भी पक्ष का संदर्भ उस पक्ष के उत्तराधिकारियों और अनुमत अनुदेशितियों को शामिल करता है।

2. पट्टे का अनुदान (स्वीकृति) एवं समाप्ति

2.1. भूमि

इसमें दिए गए पट्टेदार की ओर से पट्टा किराया और वाचाओं और वारंटियों कि प्रतिफल स्वरूप, यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार, पट्टादाता पट्टे के माध्यम से प्रभावी तिथि से शुरू करके पट्टेदार को इसके साथ-साथ दी गई अनुसूची 1 में वर्णित, निरूपित एवं दर्शायी गई उक्त भूमि (यदि उस पर कोई इमारतें, निर्माण या अचल संपत्ति हो तो उनके साथ) को, उससे संबंध रखने वालीया किसी भी प्रकार से उनसे सम्बद्ध वंशानुगत पात्रताओं या परिसरों या उनके भाग के साथ जोड़े गए या अवधि के दौरान उनके साथ उपभोग किए जाने वाले सभी अधिकार, स्वतंत्रता, विशेषाधिकार, भोगाधिकार और साज-सामान के साथ धारण करने, उपयोग करने, शान्तिपूर्वक अधिकार करने और किसी बाधा, हस्तक्षेप या व्यवधान के बिना कब्जा करने के लिए हस्तान्तरित करता है; जो परियोजना के कार्यावयन एवं और इस पट्टा विलेख के अंतर्गत अनुमत अन्य प्रयोजनों के लिए इसका प्रयोग करेगा।

2.2. इस पट्टा विलेख की शर्तों के अधीन और अनुसार एवं इस पट्टा अवधि के दौरान पट्टेदार को आगे बिना किसी सहमति या अनुमित की आवश्यकता के, उक्त भूमि पर निर्माण करने, संरचना खड़ी



करने, साइनबोर्ड लगाने, जीर्णोद्धार करने, मरम्मत करने, बदलाव करनेया अन्यथा उक्तभूमि एवं उस पर खड़ी या इसके बाद निर्माण की जाने वाली किसी भी संरचना या किए जाने वाले निर्माण कार्यों के साथ व्यवहार करने का पूर्ण अधिकार होगा और स्वतंत्रता होगी और वह किसी भी प्रकार के संशोधनों को उचित रूप से पूरा करेगा और पहले से भूमि पर निर्माण किए गए कार्यों या खड़ी हुई संरचनाओं या उनके किसी भाग या अंश को तोड़ने या उसके अपने उपयोग के अनुसार संशोधित करने का अधिकार रखेगा जिसके लिए कोई अन्य भरपाई नहीं की जाएगी।

- 2.3. पट्टादाता इस पट्टा विलेख की अवधि के दौरान, पट्टेदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना, जो पट्टेदार अपने विवेकाधिकार के अनुसार दे या रोक सकता है; भूमि या उससे उत्पन्न हित को बेचने, अंतरित करने, बंधक रखने या अन्यथा पट्टे के माध्यम से हस्तांतरित करने या किसी भी प्रकार से उक्तभूमि या उसमें निर्मित पट्टेदार के हित को भारग्रस्त करने या अन्यथा भूमि में किसी अधिकार, हित, लाइसेंस या भोगाधिकार का किसी भी तृतीय पक्ष को अनुदान करने या समर्पण करने का कार्य नहीं करेगा। इसमें निहित किसी भी विपरीत तथ्य के बावजूद, ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार भूमि के किसी अधिकार, स्वत्वाधिकार, हित आदि की किसी भी बिक्री या हस्तांतरण की स्थिति में इस पट्टा विलेख कीधारा 6.3 के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुसार नया स्वामी इस पट्टा विलेख के नियमों और शर्तों से पूर्णतया बाध्य होगा। यह है की बिक्री या भूमि अधिकार पट्टादाता द्वारा किसी तीसरे पक्ष को इस पट्टा विलेख को बिना प्रभावित किए हुए पट्टेदार की लिखित सहमति और इस पट्टा विलेख के प्रावधानों के तहत ही दिये जा सकेंगे।
- 2.4. पक्षों द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की जाती है कि परियोजना की प्रकृति और उस पर किए गए निवेश को ध्यान में रखते हुए, पट्टेदार द्वारा पट्टे के किराए का देयतिथि से लगातार 2 वर्षों की अवधि एवं इस प्रकार की देय राशियों का भुगतान करने के लिए नोटिस दिए जाने पर भुगतान न किए जाने की दशा को छोड़कर, पट्टादाता द्वारा यह पट्टा विलेखनियत अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता।
- 2.5. यह कि उक्त भूमि के अनन्य, रिक्त, शांत और शांतिपूर्ण कब्जेको पट्टेदार को उक्त पट्टा अवधि के लिएसे आगे प्रदान किया जाता है और पट्टेदार भी पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद उक्त भूमि को सामान्य टूट-फूट को छोड़कर पट्टादाता को उसी दशा में वापस करेगा जिस दशा में पट्टेदार को पट्टा अवधि आरंभ होने के समय दी गई थी।
- 2.6. पट्टेदार को यह अधिकार है कि वह इस पट्टे के संबंध में इस पट्टानामा में या कहीं और कुछ भी उल्लिखित होने के बावजूद, बिना कोई कारण बताए इस पट्टानामा को समाप्त कर सकता है, बशर्ते कम से कम 90 (नब्बे) दिनों पहले पट्टे को समाप्त करने से संबंधित अग्रिम सूचना पट्टादाता को देनी होगी। पट्टेदार खाली भूमि से अपने उपकरण हटा लेगा और उसका कब्जा पट्टादाता को सौंप देगा। तदुपरांत, यदि आवश्यक हो, तो बिना किसी आपत्ति या विरोध के, आवश्यक प्राधिकारियों के पास पट्टानामा की समाप्ति को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए पट्टादाता बाध्य होगा। यदि पट्टादाता दस्तावेज निष्पादित करने या समाप्ति की ऐसी औपचारिकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, जैसा कि आवश्यक हो, तो सभी पक्ष इस बात से सहमत हैं कि पट्टेदार के पास पूरा अधिकार होगा कि स्वयं या कानूनी प्रक्रिया के हस्तक्षेप के माध्यम से इसे पूरा



कराए। दोनों पक्ष सहमत है कि पट्टा समाप्ति कि अग्रिम सूचना की अवधि के समाप्त होने पर पट्टा किराया पट्टेदार द्वारा देय नहीं होगा

3. पट्टा किराया

- 3.1.1. पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को भूमि पट्टे पर दिए जाने एवं इस पट्टा विलेख में नियत किए गए अधिकार, विशेषाधिकार और लाभ प्रदान करने के प्रतिफल स्वरूप, पट्टेदारद्वारा पट्टादाता को संपूर्ण अवधि के दौरान पट्टा किराया के रूप में एक वार्षिक प्रतिफल का भुगतान नीचे दिए गए प्रकार से देय होगा:

यह कि पट्टादाता व पट्टेदार के मध्य गांव

निरक्षक क्षेत्र -

जिला बीकानेर के खसरा संख्या- रकबा

हेक्टेयर, (एकड़) माप किस्म बरानी- 2 का वार्षिक किराया 25,000/- अक्षरे पच्चीस हजार रुपये प्रति एकड़ से 29 वर्ष 11 माह के लिए तय किया गया है जो प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात 5 प्रतिशत के हिसाब से किराये पर बढ़ोतरी होगी जो की पट्टादाता द्वारा दिए गए बैंक खाते में जमा होगी।

पट्टादाता को वार्षिक किराये का किए गए अग्रिम भुगतान का विवरण :-

नाम पट्टा दाता	बैंक का नाम	अग्रिम पट्टा किराया देय वर्ष	कुल देय राशि	टीडीएस कटौती	टीडीएस काटकर देय राशि	RTGS/चेक/डी.डी. संख्या	दिनांक
	ICICI Bank.	01	8,45,978/-	84,598/-	7,61,380/-		/2024

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	भुगतान की जाने वाली राशि (रुपए में)	देय तिथि
1.		33.83911	8,45,978/-	'2024

- 3.1.2. किसी अत्यावश्यकता या अप्रत्याशित परिस्थितियों में, पक्ष अपनी इच्छा से या पट्टेदार द्वारा कहे जाने पर किराया भुगतान समय सारणी और योजना को परिवर्तित करने, संशोधित करने और नया रूप देने के लिए सहमत हो सकते हैं।

4. पट्टे की अवधि, लॉक-इन अवधि, उसका विस्तार एवं प्रत्यावर्तन

4.1. विस्तार

इस पट्टा विलेख के अनुसार प्रदान किया गया पट्टा प्रभावी तिथि /2024 से आरम्भ होकर 29 वर्ष 11 माह की अवधि के लिए वैध और प्रवर्तनीय होगा। पट्टा विलेख की अवधि समाप्त होने से पूर्व, अवधि की समाप्ति से 6(छह) माह पहले इसे दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।



उप पंजीयक



Authorised Signatory

4.2. लॉक-इन अवधि

लॉक-इन अवधि पूरी पट्टा अवधि यानी लीज शुरू होने की तारीख से शुरू होने वाली 29 साल और 11 महीने के लिए प्रभावी होगी।

4.3. प्रत्यावर्तन

अवधि की समाप्ति पर (उसके किसी भी विस्तार के अधीन) या पट्टा विलेख में उल्लिखित किसी भी कारण से इस पट्टा विलेख की नियत समय से पूर्व समाप्तिपर, पट्टेदार द्वारा पट्टादाता को भूमि के उस समय मौजूद सभी या किसी भी अधिकारों, स्वतंत्रताओं, विशेषाधिकारों, भोगाधिकारों और साज-सामानों के साथ भूमि सौंप दी जाएगी। एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी उपकरण, सामग्री, परिसंपत्ति, भवन, जोड़े गए उपकरण पर पट्टेदार का स्वामित्व जारी रहेगा और पट्टादाता पट्टेदार को परियोजना को विघटित करने एवं उसके उपकरण, संयंत्र, मशीनरी की अभिरक्षा और कब्जे पर अपना अधिकार करने के साथ-साथ भूमि को खाली करने के लिए 6(छह) माह की समयावधि देगा। यह सहमति व्यक्त की जाती है पट्टेदारकब्जे की अवधि तक पट्टा किराये का भुगतान करेगा।

5. भूमि का उपयोग

- 5.1. पट्टादाता एतद्वारा यह सहमति व्यक्त करता है कि पट्टेदार को उक्त भूमि सौर ऊर्जा आधारित सौर संयंत्र की स्थापना करने और उसे संचालित करने और उसके लिए आवश्यक और उसकी सभी सहायक वैध गतिविधियों के लिए उपयोग करने की पूर्ण रूप से अनुमति है।
- 5.2. पट्टेदार, पट्टा अवधि के दौरान संयंत्र और मशीनरी, सौर मॉड्यूलों आदि को स्थापित और लगाकर इस्तेमाल, निर्माण, और ऐसी सभी उपयोगिताओं और सुविधाओं को जिन्हें पट्टेदार इस पट्टा विलेख के प्रयोजनों के लिए समीचीन और आवश्यक समझे, के समेत अपेक्षित आधारभूत संरचना खड़ी कर सकता है और इस पट्टा विलेख की समाप्ति पर लंबित सभी बकाया आदि, यदि कोई हो, तो उसका भुगतान करने कर, पट्टेदार द्वारा उन्हें हटा लिया जाएगा।
- 5.3. पट्टेदार को जल उत्पन्न करने वाले संसाधनों की स्थापना करने और उसे बनाए रखने के अधिकार सहित यदि उक्त भूमि पर यदि कोई नलकूप सुविधा उपलब्ध है, तो उसका उपयोग करने का अधिकार होगा।

6. प्रतिनिधित्व और वारंटी

- 6.1. पट्टेदार के अभिवेदन और वारंटी

पट्टेदार एतद्वारा सहमति व्यक्त करता है, ऐसा दर्शाता है, वारंटी प्रदान करता है, स्वीकार करता है और दायित्व लेता है कि पट्टादाता के प्रति और उसके लाभ के लिए इस पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि पर और पट्टे की अवधि के लिए, कि:

उप पंजीयक

Authorised Signatory

- 6.1.1. वह पट्टा किराए का नियमित रूप से भुगतान करेगा और यहाँ नियत किए गए इसके प्रत्येक दायित्व और वाचा का पालन करेगा और पूरा करेगा
- 6.1.2. वह भूमि पर ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करेगा या करने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा जो किसी भी लागू कानून के विपरीत हो; लेकिन कानून में बदलाव की स्थिति में, पट्टेदार को, उपयुक्त संशोधन, परिवर्तन करने और अपने हित की रक्षा के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन करने हेतु उपयुक्त समय दिया जाएगा।
- 6.1.3. वह भूमिको (i) हर समय अच्छी दशा में रखेगा और उसकी देखभाल करेगा, और (ii) यह सुनिश्चित करेगा कि सदैव यह भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो और कोई बाधा उत्पन्न हो जाए और/या मौजूद हो तो, जितनी जल्दी व्यवहार्य (संभव) हो उतनी जल्दी भूमि पर से ऐसी बाधा को हटाने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा; और
- 6.1.4. अवधि की समाप्ति पर या इस पट्टा विलेख की समय पूर्व समाप्ति पर, पट्टेदार द्वारा इस परियोजना के भाग किसी उपकरण, संयंत्र एवं मशीनरी या सामग्री को छोड़कर, सुधारों, भवनों, मरम्मत हेतु जोड़े गए उपकरणों समेत पट्टेदार की ईछा से भूमि सौंप दी जाएगी और पट्टादाता पट्टेदार से भूमि पर ऐसे किसी भी सुधार, भवन, मरम्मत हेतु जोड़े गए उपकरणों को नहीं हटवाएगा। अथवा उसको हटाने की लागत माँगेगा।
- 6.2. पट्टादाता के अभिवेदन और वारंटी
- पट्टादाता, एतद्वारा सहमति व्यक्त करता है, ऐसा दर्शाता है, वारंटी प्रदान करता है, स्वीकार करता है और दायित्व लेता है कि पट्टेदार के प्रति और उसके लाभ के लिए इस पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि पर और पट्टे की अवधि के लिए, कि:
- 6.2.1. उसे भूमि पर अच्छा और वैध और विपणनीय स्वत्वाधिकार प्राप्त है और उसके पास पट्टा देने की शक्ति एवं प्राधिकार है;
- 6.2.2. यह पट्टा विलेख लिखे जाने की तिथि पर यह भूमि किसी भी प्रकार की और सभी बाधाओं, एवं ऋण से मुक्त है, चाहे वह किसी भी प्रकार की हों (इसमें कृषि भूमि का औद्योगिक / गैर-कृषि भूमि में रूपान्तरण सम्मिलित है) भूमि तक पहुंचने के लिए स्पष्ट रूप से सीमांकित रास्ता/ मार्ग उपलब्ध है; उक्त भूमि के संबंध में गैर-कानूनी उपयोग, व्यवसाय, अधिग्रहण, निर्माण के लिए तत्कालीन प्रवर्तित संबंधी किसी भी कानून के अंतर्गत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।
- 6.2.3. इस पट्टा विलेख के अंतर्गत पट्टाप्रदान किए जाने के अतिरिक्त, पट्टा विलेख की तिथि तक उसने भूमि पर किसी भी तीसरे पक्ष में कोई किसी भी तरह का कोई अधिकार, स्वत्वाधिकार, हित निर्मित नहीं किया गया है;
- 6.2.4. वह इस पट्टा विलेख की अवधि के दौरान, पट्टेदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना, जो पट्टेदार

अपने विवेकाधिकार के अनुदार दे या रोक सकता है; भूमि या उससे उत्पन्नहित को बेचने, अंतरित करने या अन्यथा पट्टे के माध्यम से हस्तांतरित करने या अन्यथा बंधक बनाने या किसी भी प्रकार से भूमि या उसके हित को भारग्रस्त करने या अन्यथा भूमि में किसी अधिकार या हित को किसी भी तृतीय पक्ष को देने या समर्पण करने का कार्य नहीं करेगा;

- 6.2.5. पट्टेदार की पूर्व लिखित सहमति के अनुसार, भूमि के किसी अधिकार, स्वत्वाधिकार, हित आदि की किसी भी बिक्री या हस्तांतरण की स्थिति में भूमि का नया स्वामी इस पट्टा विलेख के नियमों और शर्तों से बाध्य होगा;
- 6.2.6. पट्टेदार द्वारा पट्टा किराया भुगतान किए जाने और इसमें दी गई वाचाएं पूरी किए जाने पर, पट्टेदार, अवधि के दौरान भूमि एवं पट्टा विलेख में निर्दिष्ट अधिकारों को सदैव धारण करेगा, अधिकार रखेगा, उन्हें संसाधित करेगा और उनका उपभोग करेगा, जिसमें (i) पट्टादाता; या (ii) पट्टादाता के माध्यम से या उसके अधीन या उसका विश्वासपात्र, वैध रूप से दावा करने वाला कोई व्यक्ति या कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप या व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा;
- 6.2.7. इस पट्टा विलेख की अवधि के दौरान, पट्टादाता ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा या करवाएगा या किसी ऐसी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा जो निर्माण, स्थापना, संचालन, निरीक्षण, रखरखाव, मरम्मत या पट्टेदार की परियोजना संबंधी किसी व्यापारिक गतिविधि में हस्तक्षेप करती हो;
- 6.2.8. इस पट्टा विलेख की अवधि के दौरान पट्टेदार, पट्टादाता की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना उक्त भूमि में या उसके किसी भाग के लिए उप-पट्टा, लाइसेंस या कोई अधिकार या अन्यप्रभार (एन्कंब्रेंस) सृजित करने का अधिकारी होगा। अगर पट्टेदार इस पट्टा विलेख की अवधि के दौरान कोई भी व्यतिक्रम करता है तो पट्टेदार की सहमति के बिना उक्त भूमि और प्रोजेक्ट विद्युत खरीदार के पक्ष में हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार रहेगा। संदेह से बचने के लिए, यह विशेष रूप से उल्लेखित किया जाता है कि पट्टेदार, पट्टे की अवधि के दौरान किसी भी समय परियोजना हेतु ऋण प्रदान करने वालों/ निवेशकों/ वित्तपोषणकर्ताओं/ तृतीय पक्ष निवेशकों आदि के पक्ष में, पट्टादाता की सहमति के बिना प्रभार उत्पन्न करने का अधिकारी होगा। लेकिन, भूमि पर ऐसा प्रभार किसी भी अवधि के लिए हो सकता है लेकिन वह इस पट्टे विलेख की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 6.2.9. पट्टादाता इस पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए जा सकने वाले सभी संपत्ति करों, भूमि राजस्वों, उद्ग्रहणों, देय राशियों, उपकरों एवं भूमि के संबंध में देय अन्य व्ययों का भुगतान करेगा।
- 6.2.10. पट्टादाता, पट्टेदार को यह निरूपित करता है, वारंटी देता है और आश्वासन देता है कि उक्त भूमि सभी मामलों में लागू कानूनों का पालन करती है और उक्त भूमि पर या उसके अंतर्गत ऐसी कोई स्थिति विद्यमान नहीं है जो किसी लागू कानून का उल्लंघन करती हो या किसी सरकारी प्राधिकरण को ऐसा कोई अधिकार या प्राधिकार उत्पन्न करती हो जिसे पूरा करने के लिए पट्टादाता या पट्टेदार

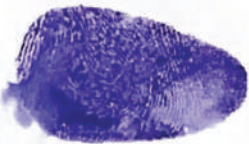


उप पंजीयक

Authorised Signatory

को भूमि के संबंध में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता हो या कोई कार्रवाई करने से बचना हो, या जो पट्टादाता पर उक्त भूमि के संबंध में (वैधानिक रूप से लागू दरों पर करों का भुगतान करने की बाध्यता के अतिरिक्त) कोई दायित्व या बाध्यता उत्पन्न करती हो।

- 6.2.11. यह भूमि परियोजना को लागू करने के लिए उपयुक्त है, और परियोजना एवं उसकी सहायक गतिविधियां के संचालन में कोई बाधा नहीं है।
- 6.2.12. उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी कानून द्वारा प्रभावित नहीं हैं या किसी अवयस्क के अधिकार में नहीं हैं, या उसके पट्टाधृत अधिकारों के निर्माण में किसी प्रकार की बाधा से प्रतिबंधित नहीं है।
- 6.2.13. पट्टादाता, पट्टेदार को उक्त भूमि तक जाने के लिए किसी भी प्रकार की बाधाओं से रहित मार्ग/ रास्ता प्रदान करेगा, जिसका उपयोग पट्टेदार एवं पट्टादाता दोनों को उपलब्ध होना चाहिए।
- 6.2.14. पट्टादाता सहमति व्यक्त करता/ करती है और यह उत्तरदायित्व लेता/ लेती है कि वह पट्टेदार को आवश्यकता पड़ने पर, पट्टेदार और उसके उधारदाताओं या अन्य वित्तीय संस्थाओं को सभी या किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा जिसमें परियोजना की स्थापना और संचालन के लिए दस्तावेजों, आवेदनों, शपथपत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना एवं उन्हें किसी भी प्राधिकारी, निकाय या निगम के समक्ष प्रस्तुत करना आदि सम्मिलित है।
- 6.2.15. पट्टादाता आगे उत्तरदायित्व लेता और वारंटी देता है कि वह पट्टेदार और उसके उधारदाताओं एवं संस्थाओं द्वारा उक्त भूमि के शांतिपूर्ण और अबाधित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किसी मुकदमे को दायर करने और उसका समर्थन करने के लिए पूर्ण सहायता और सहयोग प्रदान करेगा/करेगी, हालांकि उसके संबंध में प्रभारों का वहन पट्टेदार द्वारा किया जाएगा।
- 6.2.16. पट्टादाता एतद्वारा यह सहमति व्यक्त करता है कि यदि आवश्यक हो तो उक्त भूमि पर विद्यमान सभी पेड़ों, संरचनाओं को पट्टादाताद्वारा आवश्यक प्राधिकरणों से नियत अनुमोदन प्राप्त कर इस पट्टा विलेख के पंजीयन की तिथि से 15(पन्द्रह) दिन के भीतर हटा लिया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर पट्टेदार, पट्टादाता की लागत और व्यय पर पेड़ों, संरचनाओं आदि को हटाने के लिए अधिकृत होगा।
- 6.2.17. पट्टादाता इस पट्टा विलेख की अवधि के दौरान पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि के कब्जे, उपयोग और अधिभोग को सुनिश्चित करेगा।
- 6.2.18. पट्टादाता, इस पट्टा विलेख की पूरी अवधि के दौरान उक्त भूमि पर पट्टादाता के अधिकार, कब्जे और उपयोग पर किसी दावे या आपत्ति या ऋणभार या बाधा को अपनी लागत और व्यय पर ठीक करने के प्रति सहमति व्यक्त करता और जिम्मेदारी लेता है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि इस पट्टा विलेख के अंतर्गत पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि का उपयोग और अधिभोग किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित या बाधित न हो।
- 6.2.19. पट्टादाता यह जिम्मेदारी लेता है, निरूपित करता है और वारंटी देता है कि पट्टेदार को इस पट्टा



उप पंजीयक

Authorised Signatory

विलेख के माध्यम से साथ-साथ ही सौंपा जाने वाला उक्त भूमि का कब्जा सभी मामलों में वास्तविक, सटीक और सही है और उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार के सीमा या सीमांकन विवाद नहीं है और उनको चुनौती दिए जाने की कोई भावी संभावना नहीं है।

6.3. प्रतिनिधित्वन (एटॉर्नमेंट)

6.3.1. पट्टेदार से पूर्व लिखित सहमतिप्राप्त करने के बाद पट्टादाता द्वारा उक्त भूमिको किसी भी प्रकार के द्वारा बिक्री, निपटान किए जाने या स्वेच्छा/ अनिच्छा से पृथक होने (पट्टादाता की मृत्यु के मामले के कारण सहित), की घटना में, पट्टादाता(या उसके उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस पट्टा विलेखके अंतर्गतपट्टेदारके सभी अधिकारों की सुरक्षा हो। ऐसा नया स्वामी/ अंतरिती इस पट्टा विलेख के सभी नियम एवं शर्तों से बाध्य होगा और उनका अनुपालन करेगा, जैसा भी मामला हो, ताकि पट्टेदार द्वारापट्टेकी अवधि तक उक्त भूमि का निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जा सुनिश्चित हो। नए स्वामी/ अंतरिती के पक्ष में उक्त भूमि की बिक्री या अंतरण होने की घटना में, पट्टादाता,पट्टेदार और नया स्वामी/ अंतरितीसभी त्रिपक्षीय समझौते समेत सभी आवश्यक और उपयुक्त हस्तांतरण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे और निष्पादित करेंगे। यह कार्य बिक्री विलेख का निष्पादन होने के तुरन्त बाद प्रत्येक पक्ष के अधिकार और दायित्वों की पहचान करने के लिए इसमें दिए गए सभी पट्टाधृत अधिकारों के उचित अंतरण को प्रभावी करने के लिए किया जाएगा। यदि कानून के अनुसार किसी हस्तांतरण प्रलेखन पंजीकरण अनिवार्य हो तो, मुद्रांकन शुल्क और पंजीकरण शुल्क का वहन पट्टादाता और/या नए स्वामियों/ अंतरितियों द्वारा कियाजाएगा

7. विवाद समाधान

7.1.1. पक्षों के बीच इस पट्टा विलेख के कारण या इसकी वैधता सहित कोई भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, पक्षों द्वारा सर्वप्रथम ऐसे विवाद को सौहार्द पूर्ण तरीके से निबटाने का प्रयास किया जाएगा। सौहार्द पूर्ण निपटान किए जाने के प्रयास को तब विफल माना जाएगा जब किसी एक पक्ष द्वारा अधिक से अधिक 30(तीस) दिनों तक उचित प्रयास करने के उपरांत दूसरे पक्ष को इस आशय की लिखित रूप में नोटिस दे दिया जाता है।

7.1.2. सौहार्द पूर्ण निपटान प्रक्रिया के विफल होने पर, पक्षकारों द्वारा इस पट्टा विलेख से उत्पन्नया इससे संबंधित किंसा या सभी विवादों का समय-समय पर संशोधित माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार समाधान किया जाएगा। पंचाट की पीठ बीकानेर में होगी। पंचाट पैनल में नियमानुसार नियुक्त किए गए तीन (3) पंचहोंगे। माध्यस्थम् की भाषा हिन्दी होगी। इसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी और इसकी शर्तों के अनुसार सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किए जाने में सक्षम होगा। पक्ष माध्यस्थम् से संबंधित अपनी लागतें स्वयं वहन करेंगे।

7.1.3. माध्यस्थम् न्यायाधिकरण का/के निर्णय अंतिम होगा/ होंगे और दोनों पक्षों पर बात बाध्यकारी होगा/ होंगे।



ds



उप पंजीयक

Authorised Signatory

- 7.1.4. मध्यस्थता के पूर्वोक्त प्रावधानके अधीन, मध्यस्थता प्रावधान के अस्तित्व के बावजूद स्थानीय अदालतों को पक्षों द्वारा न्यायालयों/ फोरमों के समक्ष कानूनी रूप से प्रस्तुत करने योग्य किसी या सभी मामलों पर न्यायाधिकार होगा।

8. विविध

8.1. सूचना (नोटिस)

- 8.1.1. इस पट्टा विलेख की शर्तों के अंतर्गत आवश्यक या अनुमत या लागू कानून द्वारा आवश्यक कोई नोटिस (जब तक अन्यथा सहमति व्यक्त नहीं की गई हो) लिखित रूप में होगा और व्यक्तिगत रूप से, पंजीकृत डाक या विमान-डाक, या जैसा उपयुक्त हो, भेजी जाएगी। उचित रूप से लिखे गए पत्र लिफाफे में उचित रूप से पोस्ट किए जाएंगे और पूर्ण रूप से पोस्टपेड होंगे और उसकी एक प्रति संबंधित पक्षों में से प्रत्येक को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी, निम्नलिखित पते पर:

पट्टादाता

निवासी-

जिला बीकानेर, राजस्थान।

पट्टादार

(PAN NO.

) (CIN-

) एक कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित

और अस्तित्व में है, जिसका पंजीकृत कार्यालय

में है। जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

या ऐसे अन्य पते या प्रतिकृति नंबर

पर, जिसे समायोजित सूचना में समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

- 8.1.2. ऐसी कोई सूचना अंग्रेजी भाषा में होगी और अगर हाथ से दी गई हो तो ऐसे समय पर दी गई मानी जाएगी जब वह वास्तव में दी गई हो, या प्रतिकृति द्वारा भेजने के बाद या अगले कार्यदिवस पर, या किसी अन्य घटना में पट्टेदार द्वारा प्राप्त किए जाने पर, दी गई मानी जाएगी।

8.2. संशोधन

इस पट्टा विलेख की किसी भी शर्त में कोई भी भिन्नता, छूट, संशोधन या परिवर्तन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में न किया जाए और दोनों पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

8.3. प्रतिकरूप

इस पट्टा विलेख के कितने भी प्रतिकरूप निष्पादित किए जा सकते हैं और प्रत्येक मूल के समान शक्ति एवं प्रभावकारी होगा। प्रतिकृति हस्ताक्षरों का प्रभाव मूल हस्ताक्षरों के समान ही होगा और प्रत्येक पक्ष पक्षों के बीच किसी भी अदालत या मध्यस्थता कार्यवाही में इस पट्टा विलेख की प्रतिकृति या फोटोकॉपी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त करता है।



उप पंजीयक



Authorised Signatory

8.4. संपूर्ण अनुबंध

यह पट्टा विलेख इससे संबंधित विषय-वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच पूरे समझौते को समाविष्ट करता है और पक्षों के बीच ऐसी विषय वस्तु से सरोकार रखने वाले लिखित या मौखिक रूप से किए गए किन्हीं अन्य पूर्व समझौतों को प्रतिस्थापित करता है।

8.5. तृतीय पक्ष हितग्राही

इस पट्टा विलेख में कुछ भी, पक्षों के अतिरिक्त किसी अन्य को कोई लाभ प्रदान नहीं करेगा, या ऐसे किसी अन्य पक्ष को दावा करने, कार्रवाई का कारण, किसी भी प्रकार के उपचार या अधिकार प्राप्त करने का पात्र नहीं बनाता है, यह पक्षों का अभिप्राय यह है कि इस पट्टा विलेख को तृतीय-पक्ष लाभार्थी अनुबंध के रूप में नहीं समझा जाएगा।

8.6. कोई छूट नहीं

एक या अधिक प्रकरणों में, इस पट्टा विलेख के किसी भी प्रावधान के सख्त निष्पादन का आग्रह करने या इसमें समायोजित किसी लाभ का लाभ उठाने की विफलता को ऐसे किसी प्रावधान से छूट ऐसे अधिकार का त्याग नहीं समझा जाएगा बल्कि वह अधिकार पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेगा।

8.7. पृथक्करणीयता

किसी भी कारण से, इस पट्टा विलेख के किसी खण्ड या उपखण्ड की अवैधता या अप्रवर्तनीयता, शेष पट्टा विलेख को प्रतिकूल रूप से संकटग्रस्त या प्रभावित नहीं करेगी। पर्याप्त सावधानी के लिए, यह मुखर रूप से स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस मूल पट्टा विलेख के किसी भी प्रावधान को यदि किसी भी सक्षम मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अदालत द्वारा, अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसी अमान्यता, अप्रवर्तनीयता या अवैधता इस पट्टा विलेख के शेष प्रावधानों को संकटग्रस्त या प्रभावित नहीं करेगी जो पूर्ण रूप से प्रवर्तित और प्रभावी बने रहेंगे।

8.8. बाध्यकारी प्रभाव

इस पट्टा विलेख के नियम और उपबंध, और प्रत्येक पक्ष के इसमें समायोजित और संबंधित अधिकार और दायित्व उन पर बाध्यकारी होंगे पक्षों और उनके संबंधित वारिसों, प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों के लाभ को पुष्ट करेंगे।

8.9. भाषा

पट्टा विलेख के संबंध में, सभी दस्तावेजों, सूचनाओं, छूटों और लिखित या किसी भी अन्य प्रकार से पक्षों के बीच में संचार की भाषा अंग्रेजी या हिन्दी होगी। यदि आवश्यक हो तो पट्टादाता के लिए स्थानीय परामर्शदाता द्वारा उसकी व्याख्या और अनुवाद हिन्दी/क्षेत्रीय भाषा में किया जा सकता है।




उप पंजीयक


Authorised Signatory

8.10. शासी विधि और क्षेत्राधिकार

इसपट्टा विलेखका नियंत्रण या अन्वय भारत के कानूनों के अनुसार किया जाएगा और यह ऊपरदिए गए खंड 7 के विषय में बीकानेरस्थित न्यायालयों कापट्टा विलेख पर अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

8.11. सामान्य क्षतिपूर्ति

चूक करने वाला पक्ष दूसरे पक्षको (i) इस पट्टा विलेख के किसी भी प्रतिनिधित्व, वारंटी या वाचा के किसी उल्लंघन; एवं (ii) इसपट्टा विलेखके अंतर्गत या उक्त भूमि के संबंध में लागू कानून के अंतर्गत वांछित अपने दायित्वों के किसी भी उल्लंघन, गैर-अनुपालन या गैर-निष्पादन से या उसके कारण उत्पन्न सभी कार्रवाइयों, मांगों, दावों, निर्णयों, देयताओं, घाटों, क्षतियों, लागतों, व्ययों, वाद और अन्य जो भी देयताएं दूसरे पक्ष के विरुद्ध लाई जाती, सहन की जाती हैं या उसके द्वारा उन पर व्यय किया जाता है उनसे दूसरे पक्ष को बचाने, क्षतिपूर्ति प्रदान करने और हानिरहित रखने की सहमति व्यक्त करता है।

8.12. एजेंसी का निर्माण न होना

इसपट्टा विलेख में कुछ भी, चाहे वह व्यक्त हो या निहित हो, पट्टेदारको किसी भी मामले या की गई कार्रवाई या इसके व्युत्क्रम (किसी भी कार्रवाई से उत्पन्न मामले)के संबंध में पट्टादाता का एजेंट नहीं बनाता है।

8.13. कोई भागीदारी नहीं

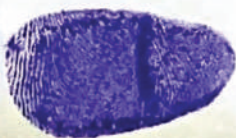
इसपट्टा विलेख का प्रयोजन पक्षों के बीच कोई संघ, संयुक्त उद्यम, एजेंसी संबंध या भागीदारी का निर्माण करना या किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की कार्रवाइयों के लिए पर इस प्रकार की कोई बाध्यता या देयता अधिरोपित करना नहीं है और न ही ऐसा समझा जाएगा। किसी भी पक्ष को, किसी भी अनुबंध या उपक्रम में प्रवेश करने या दूसरे पक्ष के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने या अन्यथा उसे बाध्य करने का अधिकार, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा।

8.14. भूमि की तकनीकी व्यवहार्यता

पक्षोंद्वारा सहमति व्यक्त की जाती है कि भूमिपरियोजना के निष्पादन के प्रयोजनोंके लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त है। इससंबंधमें किसी प्रकार के सरोकार या विवादका निपटान पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से किया जाएगा।

8.15. संचयी उपचार

इसमें किसी भी पक्ष को प्रदत्त या किसी के लिए आरक्षित किसी भी उपचार में, इसमें या प्रदान किए गए लागू कानून के पदों में कोई अन्य उपचार को वर्जित नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रत्येक संचयी होगा और इसमें समायोजित कर प्रदान किए जाने वाले या अभी या उसके बाद लागू कानून या इक्विटी में मौजूद या कानून के अनुसार प्रदान किए जाने वाले किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त होगा।




उप पंजीयक




Authorised Signatory

8.16. स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण लागत

पट्टेदार इस पट्टा विलेख के निष्पादन के संबंध में मुद्रांकन या पंजीकरण के प्रभारों को वहन करने की सहमति व्यक्त करता है।

8.17. गोपनीयता

8.17.1. सभी गैर-सार्वजनिक जानकारी (इस पट्टा विलेख की शर्तों सहित) और विशेष रूप से किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रदान की गई जानकारी या जो खुलासा करने वाले पक्ष द्वारा, लिखित में, गोपनीय या मालिकाना सूचना के रूप में पहचानी जाती है, उससे गोपनीय रूप से व्यवहार किया जाएगा और खुलासा करने वाले पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी तृतीय पक्ष को उसका खुलासा नहीं किया जाएगा और साथ ही उस सहमति को अनुचित ढंग से रोक कर नहीं रखा जाएगा।

8.17.2. उपर्युक्त के होते हुए भी, यह खण्ड और इसमें निहित प्रतिबंध ऐसी किसी जानकारी पर लागू नहीं होंगे, जिसे:

- क) लागू कानून, आदेश या विनियामक निकाय या एक न्यायालय के आदेश या आवश्यकताओं के अनुसार खुलासा किया जाना आवश्यक हो, इस तरह के अपेक्षित प्रकटीकरण की सूचना के 5 (पाँच) दिन के बाद, और यदि 5 दिन का नोटिस व्यवहार्य नहीं है तो जो व्यवहार्य हो ऐसी छोटी अवधि का नोटिस पर, खुलासा करने वाले पक्ष द्वारा खुलासा न करने वाले पक्ष को प्रदान किया जाता है;
- ख) पक्ष द्वारा अपने सहबद्ध को, या इस पट्टा विलेख के अंतर्गत अनुमत समनुदेशन के संबंध में या इसके अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों, फाइनेंसरों, सलाहकार, ठेकेदारों, एजेंटों को प्रकट किया जाता है जिन्हें अपनी गतिविधियों के समुचित निष्पादन के लिए जो इस तरह की जानकारी के उपयोग की आवश्यकता होती है; या
- ग) प्रकटीकरण के समय के पर प्रकटीकरण करने वाले पक्ष की गलती के बिना सार्वजनिक जानकारी में हैं।

8.18. निष्पक्ष व्यवहार और भ्रष्टाचार

पट्टादाता एवं पट्टेदार दोनों सहमति व्यक्त करते हैं कि वे इस पट्टा विलेख के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन करते हुए सभी लागू कानूनों का अनुपालन करेंगे। विशेष रूप से, जहाँ तक एक दूसरे से और एक दूसरे की ओर से व्यवहार करने का संबंध है या इस पट्टा विलेख के अंतर्गत अपने संबंधित दायित्वों का निष्पादन करते समय, पट्टादाता एवं पट्टेदार, भ्रष्टाचार के निषेध/प्रतिबंध से संबंधित लागू कानूनों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के प्रति सहमति व्यक्त करते हैं। इस संबंध में, पट्टादाता एवं पट्टेदार सहमति व्यक्त करते और विश्वास दिलाते हैं कि वे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, या तो अपने किसी भागीदार, सहयोगी कंपनियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों, एजेंटों आदि किसी के भी माध्यम से, या तो नकद या वस्तु के रूप में, या तो, किसी सरकारी अधिकारी, किसी भी राजनीतिक दल, या उसके किसी अधिकारी या राजनीतिक कार्यालय के



उप पंजीयक



Authorised Signatory

किसी उम्मीदवार से उसके लिए किए गए किसी भी लिखित समझौते के अनुकूल, किसी भी सक्षम प्राधिकारी से कोई भी अनुमोदन प्राप्त करने या धारण करने समेत इस पट्टा विलेख में अपेक्षित गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी सरकारी अभिकर्ता के निर्णय प्रभावित करने या प्रेरित करने के प्रयोजन से, किसी भी सरकारी अधिकारी को उपयोग हेतु किसी भी भुगतान, ऋण, उपहार-दान या अन्य प्रकार से पैसे, मूल्यवान वस्तुएँ देने, देने की पेशकश करने, वादा करने या प्राधिकृत करने का कार्य नहीं करेगा जिसके साक्ष्य स्वरूप, पक्षों ने ऊपर लिखे अनुसार दिनांक 09/09/2024 को इस पट्टा विलेख को निष्पादित किया है।

पट्टादाता के लिए एवं उसकी ओर से हस्ताक्षरित	पट्टेदार के लिए एवं उसकी ओर से हस्ताक्षरित

गवाह:

नाम:

पता:

व्यवसाय:

गवाह:

नाम:

पता:

व्यवसाय:

उप पंजीयक



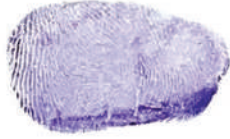
अनुलग्नक- 1
भूमि
भूमि काविवरण

ग्राम-गांव पटवार हल्का -
बारानी - 2 सम्पूर्ण भूमि। खसरा संख्या रकबा हेक्टेयर, (एकड़) माप किस्म

पट्टादाता का नाम-

संलग्नकदस्तावेज:

- 1 वर्तमान खसरा जमाबंदी
- 2 खसरा का राजस्व मानचित्र



Authorised Signatory


उप पंजीयक



अनुसूची- 2

पट्टा किराये के भुगतान के संबंध में विवरण - खाता विवरण

पट्टादाताके बैंक खाता संख्या का विवरण

नाम	
बैंककानाम	
खातासंख्या	
आईएफएससीकोड	
शाखानाम	




Authorised Signatory


उप पंजीयक

